भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 138

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

आधार केन्द्र

138. श्री संजय सेठ:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य में संचालित किए जा रहे आधार कार्ड केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और झारखंड राज्य में आधार से जुड़े मतदाता पहचान पत्रों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग 2,700 आधार केन्द्र प्रचालनरत थे। इसके अलावा, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन और मोबाइल संख्या के अपडेट की सुविधा भी लगभग 560 हैंडहेल्ड टैबलेट के माध्यम से राज्य में उपलब्ध है, जिनमें से अधिकांश पोस्टमैन या अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) और भारत निर्वाचन आयोग को सुशासन (समाज कल्याण, नवान्वेषण, ज्ञान) नियमावली, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के तहत राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल/ मतदाता पोर्टल मतदाता हेल्पलाइन ऐप/ईआरओनेट (मतदाता सूची प्रबंधन और प्रपत्र प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर) में स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं के आधार प्रमाणीकरण के प्रदर्शन को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार के प्राधिकार से अवगत कराया है। इस प्रकार के प्राधिकार के अनुसरण में किए गए प्रमाणीकरण का ब्यौरा मंत्रालय अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास व्यवस्थित नहीं किया जाता है।

*****